

# वित्त विधेयक, 2014

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

[दि फाइनेंस बिल, 2014 का हिंदी अनुवाद]

# वित्त विधेयक, 2014

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष

2014-2015 के लिए जारी

रखने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2014 है ।

(2) धारा 2, 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होगी ।

## अध्याय 2

### आय-कर की दरें

2. वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 2 और पहली अनुसूची के उपबंध, 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरणों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) में, “2013” अंकों के स्थान पर, “2014” अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, पहले परंतुक, दूसरे परंतुक और तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(अ) प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(आ) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(इ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, 5

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक की मद (अ) में वर्णित ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है, और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है: 10

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है, और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : 15

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है, और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।”;

(iii) उपधारा (13) के खंड (क) में, “2013” अंकों के स्थान पर, “2014” अंक रखे जाएंगे ; 20

(ख) पहली अनुसूची में,—

(i) भाग 1 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग 1 रखा जाएगा, अर्थात् :—

#### “भाग 1

#### आय-कर

#### पैरा क

25

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

#### आय-कर की दरें

30

- |  |   |
|--|---|
| (1) जहां कुल आय 2,00,000 रु० से अधिक नहीं है                                 | कुछ नहीं ;  |
| (2) जहां कुल आय 2,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है  | उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;                  |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है | 30,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ; 35 |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है                                     | 1,30,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

#### आय-कर की दरें

40

- |   |  |
|---|--|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक नहीं है                                | कुछ नहीं ;   |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है | उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |

(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है 25,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;  
1,25,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000

5 रु० से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

**आय-कर की दरें**

से अधिक नहीं है

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है

(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है

(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 10,00,000 रु०

कुछ नहीं ;

उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक

हो जाती है ;

1,00,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

**आय-कर पर अधिभार**

15 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

20 परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है सोसाइटी की दशा में,—

**आय-कर की दरें**

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है

कुल आय का 10 प्रतिशत ;

(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है

1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है

3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

**आय-कर पर अधिभार**

30 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

35 प्रत्येक फर्म की दशा में,—

**पैरा ग**

**आय-कर की दर**

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

**आय-कर पर अधिभार**

40 इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

45 परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

**आय-कर की दर**

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

**आय-कर पर अधिभार**

5

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ।

**पैरा ड**

किसी कंपनी की दशा में,—

**आय-कर की दरें**

I. देशी कंपनी की दशा में

कुल आय का 30 प्रतिशत ;

15

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

**आय-कर पर अधिभार**

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

30

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

परंतु ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

35

परंतु यह और कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।”;

(ii) भाग 4 के नियम 8 में,—

40

(अ) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) जहां निर्धारिती की 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

45



(iv) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।”;

(आ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।”।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए जारी रखना है ।

2. विधेयक का खंड 2 आय-कर और अधिभार की दरों से संबंधित है । आय-कर और अधिभार की उन दरों को, जो वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई थीं, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, उस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू आय के संबंध में देय “अग्रिम कर” की संगणना करने के लिए और कतिपय विशेष प्रयोजनों के लिए, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारणों के प्रयोजन के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि उन्हीं दरों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, उस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू आय पर देय “अग्रिम कर” की संगणना करने के लिए और उक्त विशेष प्रयोजनों के लिए, जारी रखा जाए ।

3. वेतन से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरों को भी, जो वित्त अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई थीं, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है ।

4. तदनुसार, विधेयक के खंड 2 में यह प्रस्ताव है कि वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 2 के उपबंधों को, और उसकी पहली अनुसूची को, पारिणामिक और अन्य आवश्यक उपांतरणों सहित, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष 2014-15 या वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लागू किया जाए ।

नई दिल्ली;  
10 फरवरी, 2014

पी. चिदम्बरम

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री से लोक सभा के महासचिव को भेजे गए तारीख 10 फरवरी, 2014 के पत्र सं० 2(8)-बी०(डी०)/2014 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में अवगत होने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन यह सिफारिश करते हैं कि वित्त विधेयक, 2014 लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाए और लोक सभा से यह भी सिफारिश करते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

2. विधेयक, 17 फरवरी, 2014 को बजट के प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात् लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा ।



# लोक सभा

---

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2014-2015  
के लिए जारी रखने के लिए  
विधेयक

---

[ श्री पी. चिदम्बरम,  
वित्त मंत्री ]